



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

सं.सी-/360/2/64/2018/ 785

दिनांक: 21.12.2018

कार्यालय आदेश

भवन प्रभाग द्वारा गाड़ियों की समय पर उपलब्धता एवं गाड़ियों के बिलों को सुचारू रूप से प्रोसेस करने हेतु सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से निम्नलिखित सहयोग की अपेक्षा की जाती है।

1. प्रायः यह देखा गया है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी गाड़ी की मांग पर्ची यात्रा प्रारम्भ करने के कुछ क्षण पहले ही देते हैं, जिससे भवन प्रभाग को वाहन उपलब्ध कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से यह निवेदन है कि वाहन मांग पर्ची, निर्धारित यात्रा में एक दिन पूर्व एवं एमरजेंसी केस में यात्रा प्रारम्भ करने से कम से कम-दो-घंटे पहले उपलब्ध कराएं, जिससे कि भवन प्रभाग समय पर वाहन उपलब्ध करा सके। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी आपातकाल स्थिति में मांग पर्ची ना दे पाएं हों, तो कृपया यात्रा समाप्त होने के तुरन्त बाद उसे भवन प्रभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. भवन प्रभाग को गाड़ियों की ड्रियूटी स्लिप में पूरी जानकारी न होने के कारण गाड़ियों के बिलों को प्रोसेस करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दिशा में भवन प्रभाग ने अपने स्तर पर काफी कदम उठाए हैं। इस क्रम में, आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि कृपया ड्रियूटी स्लिप जो कि ड्राइवर द्वारा प्रदान की जाती है, में यात्रा प्रारम्भ होने का समय व शुरूआती किलोमीटर एवं यात्रा समाप्त होने का समय व किलोमीटर, दौरे पर गए स्थान/स्थानों का विवरण, स्वयं का नाम, हस्ताक्षर एवं मोबाइल नं. पूरी तरह से अंकित करना ना भूलें। यह सूचना, बिलों को प्रोसेस/सत्यापित करने में काफी सहयोग करेगी तथा इससे टैक्सी ड्राइवर के किसी भी प्रकार के फेरबदल से बचा जा सकेगा।

3. दिल्ली से बाहर दौरे पर जाने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से निवेदन है कि दौरे की कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि भवन प्रभाग को यात्रा शुरू होने से पहले, वाहन मांग पर्ची के साथ जरूर उपलब्ध कराएं।

अतः सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त के पालन करने में भवन प्रभाग को सहयोग करें जिससे गाड़ी उपलब्ध करवाने एवं बिलों को प्रोसेस करने में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।



(दीन बन्धु गौडा)

प्रभारी, भवन प्रभाग

सेवा में,

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के निजी सचिव - सूचनार्थ
2. सदस्य सचिव के निजी सचिव - सूचनार्थ
3. सभी प्रभाग प्रभारी
- ✓ 4. प्रभारी, आई.टी. प्रभाग - कृपया सी.पी.सी.बी. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
5. सूचना पट्ट